सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
कार्तिक 10, रविवार, शाके 1942- नवम्बर 1, 2020	
Kartika 10, Sunday , Saka 1942- November 1, 2020	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2020

संख्या प.1(1)न्याय/2020:-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 15, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय चाकसू	जयपुर महानगर प्रथम	चाकसू
2	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 16, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
3	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 17, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
4	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 18, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
5	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 19, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर

6	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 7, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर
7	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 8, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।